न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्त्व (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 101/2024

अनवान : –

1. अरवी पुत्री राजपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सम्पत पत्नी राजपाल गोदारा जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. रूही पुत्री राजपाल गोदारा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सम्पत पत्नी राजपाल गोदारा जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. सुभाष पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक रावतसर तहसील रावतसर।
6. शाख प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा टोपरिया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 16/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 149/53 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.5857 है० भूमि एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 156/154 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.3780 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडीसी तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 50/83 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.0600 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि सायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में सायलान संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का गैरसायल संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है।

गैरसायल संख्या 1 जो कि [illegible] अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि पूर्व में ही बेचान कर चुका है तथा [illegible] में अब गैरसायल संख्या 1 का कोई हक हिस्सा लेकिन अब शेष भूमि भी बिना जायज जरिये के भू माफिया किन्हीं लोगो को बेचान करना चाहता है। गैरसायल संख्या 1 समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

फायदा उठाते हुए तथा सायलान को उनके हक हिस्सा से वंचित करके रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहता है तथा भूमि को रहन बैय करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाता है तो सायलान के साथ घोर अन्याय होगा भूखा मरने की नोबत आ जायेगी तथा सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं हैं इसलिए सायलान गैरसायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 149/53 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.5857 है० भूमि एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 156/154 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.3780 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडीसी तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 50/83 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.0600 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 149/53 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.5857 है० भूमि एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 156/154 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.3780 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडीसी तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 50/83 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.0600 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं रोही [illegible] नोहर के खाता स0 156/154 की कुल 2.3780 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के दादा [illegible] के नाम दर्ज थी अर्थात उक्त खाता की भूमि पैतृक भूमि है जबकि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत

Rahul

नोहर

2071–2074 के खाता संख्या 149 / 53 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.5857 है० भूमि एवं रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडीसी तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 50 / 83 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.0600 है० भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो। इसलिए रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता स0 156 / 154 की वाद भूमि के अलावा अन्य भूमि हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। रोही मौजा टोपरिया बारानी क खाता स0 156 / 154 की भूमि पैतृक साबित होने के कारण उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है जबकि शेष भूमि हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता स0 165 / 154 की भूमि पैतृक पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है लेकिन शेष वाद भूमि के पैतृक के संबंध में अधिवक्ता वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही कियाा गय है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षति</u>– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी आंशिक साबित है।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन [illegible] पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने [illegible] है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी [illegible] कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत [illegible]073–2076 के खाता संख्या 156 / 154 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.3780 है० भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण के हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे एवं रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 149/53 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.5857 है० भूमि एवं रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडीसी तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 50/83 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.0600 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में दिनांक 21.05.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 16/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested